न्यायालयः राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

जिला ग्वालियर

प्र. क्र. निगरानी / अध्यक्ष / /2014 R-139-PBR/14

दिनांक 9-1-14 को श्री जगदीश श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
9-1-14
12-30 P.M.

1. करतारसिंह 2. कोक सिंह
3. पंचमसिंह पुत्रगण भगवानसिंह निवासीगण जंग्गूका पुरा (जमरोहा) परगना व जिला ग्वालियर ......प्रार्थीगण

बनाम

आदिराम पुत्र श्री विजयसिंह निवासी ग्राम रिप्पुआ का पुरा परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 38/2011–12 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांकी 30.11.2013 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 139–पीबीआर/14 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 30–11–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा आवेदकगण के पक्ष में किया गया व्यवस्थापन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदकगण के पास ग्राम सुमावली तहसील ग्वालियर स्थित भूमियां सर्वे कमांक 546, 470, 471, 472, 473, 486, 487, 441, 443, 447, 448, 450,453, 464, 201, 205, 206, 207, 210, 212, 213, 217, 424, 425, 429, 430, 435, 436 एवं 439 है, इस संबंध में आवेदकगण द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया और तहसील न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्य को छिपाया गया है, जबकि उपरोक्त भूमियां आवेदकगण की होने से उन्हैं व्यवस्थापन की पात्रता नहीं है । अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय का व्यवस्थापन आदेश अपीलीय आदेश था, जिसके लिये 60 दिवस की समय सीमा निर्धारित है, परन्तु कलेक्टर द्वारा 23 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही	

करने की अवैधानिकता की गई है । क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है तहसीलदार द्वारा अपात्र व्यक्तियों को व्यवस्थापन किया गया था, इस कारण उनका आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश था, जिसमें समय सीमा का बंधन नहीं रह जाता है । इसके अतिरिक्त अपीलीय आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष